फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

भूराराम वगैरा बनाम चौखाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 123 /20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.06.2020	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा गलत रूप से प्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करवाकर वादग्रस्त खेत मौजा उदरामाणियों की ढाणी पटवार मण्डल पूनियों का तला के खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 411.11 बीघा के संबंध में बंटवाड़े का निर्णय एवं डिक्री पारित करवा ली है। तथा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री के आधार पर वादग्रस्त खेतों के राजस्व रेकर्ड में रद्वोबदल करने पर आमादा है। और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 21/07/2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण विवादित आराजी मौजा उदरामाणियों की ढाणी पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 411.11 बीघा की वर्तमान मौके व रैकर्ड की यथास्थिति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के निस्तारण तक बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 21/07/2020 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:16:14 IST
Reason: SelfAttested

21/07/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील जरिये तामील अप्राप्त। प्रार्थी वकील द्वारा बतलाया कि हम उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र Not press किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र जरिये Not press खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, मूल पत्रावली के संलग्न रहे।

[signature]

सहायक कलक्टर (SDO)
[stamp illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:16:14 IST
Reason: SelfAttested